न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी; ~~नागौर~~ अजमेर

मुकेश सिंह बनाम राज.सरकार वगैरह

किस्म मुकदमा – 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या ...226... / 2024(ब्यावर)

2024/226

T.D 22/10/24

	GA श्री लवप्रताप सिंह एडवोकेट
01.10.2024	मुकेश सिंह बनाम राज.सरकार व अन्य (2024/226) यह अपील श्री लवप्रताप सिंह राठौड़ एड़वोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 136/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2024 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया गया एवं शपथ–पत्र पेश किया है। अपील प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को रिजर्व रखते हुए, दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की है तथा फोटो प्रति को डिस्पेच विद करने के लिए प्रार्थना–पत्र रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल की धारा 17 पेश किया गया, आयन्दा प्रमाणित प्रति पेश करें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। जिसकी प्रति राजकीय अभिभाषक को दी गई। पत्रावली वास्ते जवाव/स्थगन प्रार्थना–पत्र दिनांक 04.10.2024 को पेश हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
4/10/24	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट व जी०ए० उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट बहस प्रा०प० हेतु समय चाहते है, जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र स्थगन दिनांक 9/10/24 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
9/10/24	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट व जी०ए० उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट बहस स्थगन हेतु समय चाहते है. जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा०पत्र स्थगन दिनांक 22/10/24 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
22/10/24	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित नहीं। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को कई बार रूक-रूक कर आवाजे दिलाई गई, किन्तु उपस्थित नहीं हुए। राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अत: अपील अपीलांट अदम पैरवी, अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुदा होकर [illegible] हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर